निर्णय वइजलास श्री दीपक मित्तल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–105 / 2023
दायरा दिनांक :–18.07.2023
निर्णय दिनांक :– 9.9.23

उनवांन

1. गंगाबिशन पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली निवासी शाहबाद वार्ड हरिजन बस्ती बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादी

बनाम

1. जितेन्द्र सुमन पुत्र श्री परमानन्द जाति माली निवासी शाहबाद वार्ड हरिजन बस्ती बारां तहसील बारां जिला बारां
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 एवं 53 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 9.9.23

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द कुमार एड0– वादी
2. श्री ललित नागर – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 एवं 53 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल बारां पटवार हल्का बारां तहसील बारां राज0 में जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार खाता सं0 नया 33 पुराना 23 से खसरा नं0 1616 रकबा 0.05 हे0, खसरा नं0 1618 रकबा 0.34 हे0, खसरा नं0 1621 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1623 रकबा 0.24 हे0 कुल 4 किता रकबा 0.66 हे0 स्थित है। उक्त आराजीयात ही वाद की विषय वस्तु है, जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया है। उक्त विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। तथा जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त विवादित आराजियात पुश्तैनी है। जो वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पूर्वजों से प्राप्त हुयी है। प्रतिवादी क्रम 1 वादी का भतीजा है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 के मध्य बाहमी विभाजन हो चुका है। तथा बाहमी विभाजन अनुसार वादी व प्रतिवादी क्रम 1 अपने अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा वादी व प्रतिवादी कम प्रतिवर्ष अपने अपने हिस्से की भूमि फसल पैदा करते व काटते चले आ रहे है।

प्रतिवादी कम 1 के मन में बदयान्ती आ गयी है और वादी उसके हिस्से की आराजी को काश्त करने में आये दिन व्यवधान उत्पन्न करता रहता है। तथा प्रतिवादी कम 1, वादी की भूमि जो उसके हिस्से में आयी है। तथा जिस पर वादी मौके पर काबिज है, पर जबरन कब्जा करना चाहता है। तथा राजस्व कर अदा करने में भी झगड़ा होता रहता है। तथा वादी को सरकारी लाभ प्राप्त करने व किसान केडिट कार्ड जारी करवाने में असुविधा होती है। इस कारण वादी विवादित आराजीयात में जो अपना 1/2 हिस्सा है। तथा जिस पर वादी बाहमी विभाजन अनुसार मोके पर काबिज काश्त है, को पृथक करवाकर पृथक से वादी अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी व नालिशी है। दिनांक 09.07.2023 को जब वादी अपने हिस्से की आराजी में खड़ी फसल को देखने गया तो प्रतिवादी कम 1 मौके पर आया तथा वादी को मां बहिन की पोश पोश गालियां दी तथा धमकी दी कि मैं तुझे तेरे हिस्से की भूमि पर काश्त करने दूंगा तथा जबरन कब्जा करके रहेगा तथा विवादित आराजीयात रहन बेचान व खुर्द बुर्द करके रहेगें। वादी ने प्रतिवादी कम 1 को समझाने का प्रयास किया तो धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जाये, मैं तुझे तेरे हिस्से की भूमि काश्त नहीं करने देंगे। जिसका प्रतिवादी कम को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। अस्तु वादी, प्रतिवादी कम 1 के विरूद्धस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।वाद कारण दिनांक 09.07.2023 को प्रतिवादी कम 1 द्वारा वादी को उसके हिस्से की विवादित आराजी से बेदखल कर जबरन कब्जा करने तथा विवादित आराजी को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर बमुकाम बारां तहसील बारां में पैदा हुआ।

वादीगण का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 33 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कस्बा बारां नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कस्बा बारां, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कस्बा बारां,नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कस्बा बारां पेश किया गया।

अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में उप0 होकर न्यायालय में राजीनामा पेश किया कि गंगांबिशन पुत्र रामचन्द्र व जीतेन्द्र सुमन पुत्र परमानन्द जाति माली निवासी [illegible] है। वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती एवं स्वामित्व की आराजी खाता [illegible] के खसरा नं0 1616,1618,1621,1623 कुल किता 4 रकबा 0.66 हे0 आराजी जो कि [illegible] विचाराधीन है। हम दोनों वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

एवं प्रतिवादी के बीच आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा के अनुसार उक्त आराजीयात में से खसरा नं0 1618 रकबा 0.34 हे0, आराजीयात जो कि पूर्व से ही गगांबिशन के कब्जे काश्त व अधिकार में चली आ रही है उसमें से 0.01 हे0 पूर्वी दिशा वाली आराजी जीतेन्द्र के हिस्से में आयेगी व शेष रकबा 0.33 हे0 गंगाबिशन के स्वामित्व में रहेगी व शेष आराजीयात खसरा नं0 1616 रकबा 0.05 हे0 खसरा नं0 1621 रकबा 0.03 हे0 व खसरा नं0 1623 रकबा 0.24 हे0 आराजी जीतेन्द्र के स्वामित्व में रहेगी पक्षकारान द्वारा मुताबिक राजीनामा दावा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अभिभाषक उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी वाके कस्बा बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं0 33 के अनुसार विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के शामलाती खाते में हिस्सा 1/2,1/2 दर्ज रिकार्ड है वादी व प्रतिवादी अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी का मुताबिक राजीनामा पृथक–पृथक विभाजन करा कर अलग खाते दर्ज कराना चाहते है। वादी एवं प्रतिवादी एवं उनके अभिभाषकगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढकर सुनाया गया उनके द्वारा राजीनामा सुनकर सम्मन कर स्वीकार किया गया तथा अपनी सहमति जाहिर की जिसकी पहचान अभिभाषक गण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा सहमति व सन्तुष्टी के आधार पर तस्दीक किया जाकर शा0 मि0 किया गया। वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

::क्रियात्मक आदेश::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके कस्बा बारां के खसंरा नं0 1618 रकबा 0.33 हे0 भूमि वादी गगांबिशन के खातेदारी में एवं खसरा नं0 1618 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 1616 रकबा 0.05 हे0, 1621 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1623 रकबा 0.24 हे0 आराजी प्रतिवादी जीतेन्द्र के खातेदारी में दर्ज कर लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 105/2023	अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 09.09.2023
समक्ष : श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री अरविन्द कुमार एड0–वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्री ललित नागर –प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

उनवान

1. गंगाबिशन पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली निवासी शाहबाद वार्ड हरिजन बस्ती बारां तहसील बारां जिला बारां राज0 –वादी

बनाम

1. जितेन्द्र सुमन पुत्र श्री परमानन्द जाति माली निवासी शाहबाद वार्ड हरिजन बस्ती बारां तहसील बारां जिला बारां
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राज0 –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके कस्बा बारां के खसरा नं0 1618 रकबा 0.33 हे0 भूमि वादी गंगाबिशन के खातेदारी में एवं खसरा नं0 1618 रकबा 0.01 हे0, खसरा नं0 1616 रकबा 0.05 हे0, 1621 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 1623 रकबा 0.24 हे0 आराजी प्रतिवादी जीतेन्द्र के खातेदारी में दर्ज कर लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 09.09.2023 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबड़ा जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner